

अदालत

सहायक कलेक्टर मुकाम (SDO) बामतु

गनी खां वीर बनाम इब्राहीम खां वीर

किस्म मुकदमा

रा. अ. अ. नं. 111/28 R.R. नं. 171/2022 सन. 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21/04/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>महावीर जी रागर</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111/28 R.R.</u></p> <p>राजस्थान कास्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन</p> <p>तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>05/05/2022</u> को पेश हो।</p> <p>05/05/2022</p> <p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी वकील के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी अजकार्ये गये जिनकी डिफेंड वाले प्रार्थी वकील द्वारा पेवा की गई जिसे शामिल पत्रावली विभा गणना विप्रार्थी गणना वाकजुड सूचना अनु उपस्थित। न्यायालय समय तीन बजे को वाज लगाई गई जिसमें को वाज 5.45 pm पर लगाई विप्रार्थी गण स्वयं आ उनही कोर्ट में कोई प्रार्थना उपस्थित नही हुआ लिहाजा विप्रार्थी गणों के विरुद्ध एडवरना डायवाही कमल में लाई जाती है। फिल. वाले वदर पत्रावली दिनांक - 05/06/2022 को पेश की।</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) बामतु जिला - बाड़मेर</p>

सहायक कलेक्टर (SDO)

बामतु

जिला - बाड़मेर

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

01/06/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दपतर हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायतु  
जिला - बाड़मेर

कमाक : वाद / 2022 / 57  
न्यायालय  
प्रार्थी  
गनी खा पुत्र  
जातियान

राजस्थान-सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद/2022/871

दिनांक : 01/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. गनी खां पुत्र जुसब वगैरा 05,  
जातियान् तेली, निवासी आहोणी बैनिवालों  
की ढाणी, पटवार मण्डल माधासर,  
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. इब्राहीम खां पुत्र रिमजु खां वगैरा 06,  
जातियान् तेली, निवासी आहोणी बैनिवालों  
की ढाणी, पटवार मण्डल माधासर,  
तहसील बायतु (बाड़मेर)

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 171/2022

#### आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - आहोणी बैनिवालों की ढाणी, पटवार हल्का - माधासर, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 764/694, 807/694 रकबा क्रमशः 0.0647, 4.0531 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनरी शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इम्सदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(जमदीश सिंह आशिया) तु  
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 01/06/2022

क्रमांक : वाद/2022/872-876

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का माधासर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री गनी खां पुत्र जुसब वगैरा 05,
4. विप्रार्थी श्री इब्राहीम खां पुत्र रिमजु खां वगैरा 06,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला-बा.मेर